

**उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
**शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ।**  
**(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)**

**सार्वजनिक सूचना**

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 के अन्तर्गत उ०प्र० सरकार के उपक्रम, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ याचिका, तथा वित्तीय वर्ष 2013—14 की टू—अप याचिका को मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु निर्देशित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु विद्युत उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं:—

विवरण	वर्ष 2016—17 (अनुमोदित)
पारेषित ऊर्जा (मि०यू०)	120813.12
<b>व्यय (रू० करोड़)</b>	
अधिष्ठान व्यय	522.80
लेखा एवं सामान्य व्यय	30.03
अनुरक्षण व्यय	183.90
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1275.90
ह्रास	542.94
आर०ओ०ई०	102.46
घटायें : ब्याज एवं अन्य पूँजीकृत खर्च	645.67
<b>कुल खर्च</b>	<b>2012.36</b>
अन्य आय (—)	51.87
<b>कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता</b>	<b>1960.48</b>
<b>ट्रांसमिशन दर (रू०/यूनिट)</b>	<b>0.1623</b>

1. वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु अनुमोदित ट्रांसमिशन दर रू० 0.1623/यूनिट प्रदेश के समस्त वितरण लाइसेन्सी द्वारा देय होगी।
2. ओपेन एक्सेस चार्जज:—

विवरण	इकाई	दीर्घ कालिक	अल्प कालिक
132 के०वी० विभव पर जुड़े होने पर	(रू०/यूनिट)	<b>0.1623</b>	<b>0.1623</b>
132 के०वी० विभव से अधिक विभव पर जुड़े होने पर	(रू०/यूनिट)	<b>0.1217</b>	<b>0.1217</b>

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उपरोक्त मूल्य एवं दरें इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिनों बाद स्वतः लागू हो जायेंगी। यह अनुमोदित टैरिफ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 तथा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट क्रमशः [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) तथा [www.uperc.org](http://www.uperc.org) पर भी उपलब्ध हैं।

(अध्यक्ष)

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0

राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं